राजस्थान सरकार

निदेशालय जलग्रहण विकास एवं भू संरक्षण, राजस्थान, जयपुर

कमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 7125-7229 दिनांक : 14/5/12

समस्त परियोजना प्रबन्धक,
वाटरशेड सेल कम डाटा सेन्टर,
जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)

विषय :- आई.डब्ल्यू.एम.पी. अन्तर्गत स्वीकृत परियोजनाओं में प्रवेश बिन्दु गतिविधि के अन्तर्गत सोलर लाईट्स के रखरखाव एवं सतत उपयोगिता के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- निदेशालय के समसंख्यक पत्रांक 4832-4942 दिनांक 07.08.2012

उपर्युक्त विषयान्तर्गत एवं प्रासंगिक पत्र द्वारा निर्देशित किया गया था कि आई.डब्ल्यू.एम.पी. के अन्तर्गत स्थापित सोलर लाईट्स के रखरखाव एवं सतत उपयोगिता सुनिश्चित करने हेतु इनके रखरखाव का दायित्व स्थानीय स्तर पर लाभान्वित होने वाले स्थानीय समुदाय के समूह / स्वयं सहायता समूह / स्थानीय संस्था / ग्राम पंचायत इत्यादि को सौंपा जावें। जलग्रहण विकास दल के सदस्यों से मासिक रूप से इनके चालू होने की सूचना प्राप्त की जावे। सोलर लाईट्स खराब पाये जाने पर सम्बन्धित पी.आई.ए. / परियोजना प्रबन्धक द्वारा सोलर लाईट्स के गारन्टी अवधि में होने की दशा में सम्बन्धित कम्पनी से सम्पर्क कर अविलम्ब इन्हें ठीक कराया जावे एवं कम्पनी द्वारा कार्यवाही नहीं करने की दशा में तुरन्त कम्पनी के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ कर निदेशालय को सूचित किया जावे। इस सम्बन्ध में अभी तक किसी भी जिले से कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

पुनः निर्देशित किया जाता है कि सोलर लाईट्स के सम्बन्ध में प्रत्येक माह निम्नानुसार प्रपत्र में निदेशालय को सूचना प्रेषित की जावें :-

परियोजना स्वीकृत वर्ष	परियोजना का नाम	गांव का नाम	स्थापित सोलर लाईटस की संख्या	खराब / अनुपयोगी सोलर लाईट्स की संख्या	खराब / अनुपयोगी रहने के कारण	प्रकरण में की गई कार्यवाही

उक्त सूचना निदेशालय को 3 दिवस में आवश्यक रूप से प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इस सम्बन्ध में आपका व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारण करते हुए कार्यवाही की जायेगी। साथ ही निर्धारित प्रपत्र में सूचना प्रत्येक माह की 7 तारीख तक आवश्यक रूप से निदेशालय को भिजवाना सुनिश्चित करे।

उक्त सूचना ई-मेल के माध्यम से iwmp4.wdsc@gmail.com पर भिजवाना सुनिश्चित करे।

निदेशक

कमांक : एफ.18(आई-24)आईडब्ल्यूएमपी / निजभूस / 2012 / 7125-7229 दिनांक : 14/5/12

प्रतिलिपि :

1. अतिरिक्त निदेशक (प्रथम / द्वितीय), निदेशालय, जयपुर।
2. मुख्य लेखाधिकारी, निदेशालय, जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
4. उपनिदेशक (IWMP-I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII/MIES)/P.O.(LR), निदेशालय, जयपुर।
5. समस्त लेखाधिकारी, जिला परिषद (श्रीगंगानगर के अतिरिक्त)
6. ए.सी.पी., निदेशालय,जयपुर को भेजकर लेख है कि उक्त पत्र विभागीय वेब साईट पर अपलोड़ करावें।

निदेशक